रामसिंह बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी: रामकरण सिंह, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं० 6 / 2025

प्रविष्टि दिनांक 07.01.2025

उनवान

1. रामसिंह पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम अजीतपुरा हाल निवासी ग्राम सुखपुरिया वार्ड नं० 31 तह0 सांगानेर जिला–जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

अप्रार्थी

उपस्थित श्री रमेश कुमार शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम

दिनांक– 10/9/25

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 112 रकबा 0.0632 हैक्ट, ख0नं0 237/10 रकबा 1.2646 हैक्ट ख0नं0 225 रकबा 4.5527 हैक्टेयर वाके ग्राम अजीतपुरा पटवार हल्का गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक में प्रार्थी हिस्सा जमाबन्दी अनुसार खातेदार काबिज काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि में खातेदार का वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र मांगीलाल है। जो कि सभी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। किंतु राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से त्रुटिवश रामराय पुत्र मांग्या गलत रूप से अंकित हो गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में रामसिंह पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत है। राजस्व रिकॉर्ड के अलावा सभी दस्तावेजों में रामसिंह पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा अंकित है। सभी दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनाधारकार्ड, वोटरआईडी, बैंक पासबुक, पैनकार्ड, स्मार्टकार्ड, पहचानकार्ड एवं सभी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम रामसिंह पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी को अनावश्यक असुविधा कारित न हो। उक्तानुसार लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 112 रकबा 0.0632 हैक्ट, ख0नं0 237/10 रकबा 1.2646 हैक्ट ख0नं0 225 रकबा 4.5527 हैक्टेयर वाके ग्राम अजीतपुरा पटवार हल्का गुन्सी तहसील जिला टोंक में स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामराय पुत्र मांग्या जाति बैरवा के स्थान पर रामसिंह पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश फरमाया जावे।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2070–73, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निवाई के पत्रांक 14979 दिनांक 09.09.2025 से प्राप्त रिपोर्ट, संलग्न पटवार हल्का गुन्सी रिपोर्ट, सरपंच गुन्सी के लेटर पे में रामराय पिता मांग्या व रामसिंह पुत्र मांगीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया गया है।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का एवं पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। बहस का अलग से विवेचन नहीं किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। इसके अतिरिक्त पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का नाम रामराय पिता मांग्या व रामसिंह पुत्र मांगीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थी व पैरोकार सरकार के द्वारा प्रस्तुत पत्रो के तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब एवं तहसीलदार निवाइ की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम बाबत भूमि भूमि ख0नं0 112 रकबा 0.0632 हैक्ट, ख0नं0 237/10 रकबा 1.2646 हैक्ट ख0नं0 225 रकबा 4.5527 हैक्टेयर वाके ग्राम अजीतपुरा पटवार हल्का गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक, तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अलोक मे स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामराय पुत्र मांग्या के स्थान पर रामसिंह पुत्र मांगीलाल अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 10/9/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी निवाई